

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश-पत्रक ता० से

जिला-बोकारो केस सं० 62/2015-16

केस का प्रकार :- नामान्तरण

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
--------------------------------	-------------------------------------	--

06/05/15

श्री मनी वसन्ती देवी
पति/पति श्री चतुर्लाल साव
साकिन गोकियारी थाना-नावाडीह
जिला-बोकारो ने निम्नांकित भूमि का दा० खा० हेतु आवेदन पत्र
दिया है जो श्री हीरालाल साव
पिता स्व० हरेक साव
सा० गोकियारी नावाडीह
जिला-बोकारो के केवाला संख्या 1186
दिनांक... 07.12.12 ... द्वारा मो० 75,000/-
रुपये में किया है।

जमीन का विवरण :-

ग्राम	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
-------	---------	----------	------	-----

गोकियारी	98	1818	0.24 ए० 31 पंजा	पूर्व मूल्य 3.00 रु०
----------	----	------	-----------------	----------------------

मूल आवेदन ह० कर्म को जाँच हेतु दें। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अंचल निरीक्षक के माध्यम से दें। साथ ही आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति आमंत्रण करें।

अभिलेख दिनांक 24/05/2015 को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी
नावाडीह (बोकारो)

आम इस्तेहार पाया

Moti

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्र के बारे में रिपोर्ट तारीख सहित 3
-----------------------------------	-------------------------------------	---

24/05/2015

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त निर्धारित तिथि तक किसी ने आपत्ति पत्र नहीं दिया है ह० कर्म./अ. नि. का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया तथा पाया कि वर्णित भूमि का II के पृष्ठ सं० 117 भालुम सं० II में विक्रेता के पर भोजा)

नाम से रसीद निर्गत होती है। विक्रेता ने अपने हिस्से की जमीन विक्री किया है, जो क्रेता के दखल कब्जा में है। हल्का कर्मचारी / अं० नि० ने दा० खारीज स्वीकृत करने का अनुशंसा किया है।

अतः ह० कर्म/अं० नि० के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वर्णित भूमि का दाखिल खारीज क्रेता के नाम से श्रीमती वसन्ती देवी के नाम (बोकारो) किया जाता है।

ग्राम खाता न० प्लॉट न० रकबा माल

गोकियास 98 1818 0.24 ए०. 31 प०

5000000 3000000

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचल अधिकारी
नावाडीह

अंचल अधिकारी
नावाडीह

पुनश्च: शुद्धि पत्र हस्ताक्षर किया गया। दो प्रति हल्का कर्मचारी अनुपालत हेतु दे।

अंचल अधिकारी
नावाडीह (बोकारो)

आंच देव
पुनः

अनुसूची-98, फारम सं०-9८४

नामान्तरण (दाखिल खारीज) के आवेदन पर तहसीलदार का जमीन की रिपोर्ट का फारम

नामान्तरण/दाखिल खारीज केस सं० 62/2015-16 सन् 20

गाँव जोनियाटो थाना नावाडी थाना न० ०7

इस्टेट का नाम _____ जिला _____

1. लिखें बिक्रय, दान, बटवारा या (1) 1186 द्वारा होलिंग का (2) अन्तरण
उत्तराधिकार । 07.12.12

2. पूर्णतः या अंशतः बिक्री या अन्तरित क्षेत्र का रकवा । 0.24 एकड़

3. यहाँ रैयत या महाजन लिखें चुकाया गया मूल्य 75,000/- रुपये
खरीदार का पेशा- गृहणि

खतियान संख्या	अभिधारी का नाम	प्लॉट सं०	रकवा	लगान और हैसियत	अभ्युक्ति
98	नामान्तरण (दाखिल खारीज) के पहले मूल होलिंग <u>पुनीत देवी</u> <u>पिता कन्दन देवी</u>	1818 <u>एक अंश</u>	6.11 <u>एकड़</u>	12.87 <u>एकड़</u>	<u>महाजन</u> <u>उक्त प्रमि मौज जोनियाटो</u> <u>खाना 98 <u>देवी</u> खाते की है।</u> <u>पंजी के पत्रा 117/II में</u> <u>लेखकारी का प्रमाण उचित है।</u> <u>के नाम का बंधी दर्ज है। लेखकारी</u> <u>अपने अंश की प्रमि का लेखकारी</u> <u>के नाम बिक्री में है जिसपर</u> <u>लेखकारी शक्ति पूर्वक चलकर है।</u>
do	नामान्तरण (दाखिल खारीज) के बाद मूल होलिंग <u>do</u>	"	5.87 <u>एकड़</u>	12.56 <u>एकड़</u>	<u>उक्त प्रमि अंशजलमा बस, अम</u> <u>बैरात, अहमदी, प्रकाश एवं वनसीज के</u> <u>बाहर है। लेखकारी एवं लेखकारी</u> <u>दोनों C.M.T एस्ट के बाहर है।</u> <u>अतः लेखकारी के नाम दाखिल</u> <u>खारीज की स्वीकृति दी जा सकती है।</u>
98	नया होलिंग <u>श्रीमती बसन्ती देवी</u> <u>पति श्री यमुलाल साव</u> <u>साथ- जोनियाटो</u>	1818	0.24 <u>एकड़</u>	<u>0.31 प्लॉट</u> <u>3.00 अंश</u> <u>महाजन</u> <u>कालकेश</u>	<u>1.0.15</u> <u>11.11.15</u> <u>11.11.15</u>

उक्त कर्क के प्रविष्ट की जन्म
प्रमाण लही मन्थन द्वारा स्वीकृत
किया जा सकता है।